16/3/2026 पत्रावली पेश हुई वादी वकील उप०। दावा
वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वादपत्र की मद
संख्या 02 में वर्णित आराजी पर सक्षम
न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 के संबंध
में लापता/मृतक घोषित होने के उपरान्त
ही वादी व प्रति. संख्या 01 व 02 को खातेदार
काश्तकार घोषित किया जावेगा। निर्णय पृथक
से लिखवाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई

व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 रनधीर सिंह बनाम जगदीश बगै0

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 11/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है और वादपत्र में अंकित विवादित आराजी खाता सं. 69 के खसरा नं. 3543 रकवा 0.24 व खाता सं. 111 का खसरा नं. 3525 रकवा 0.21 व खाता सं. 572 के खसरा नं. 1920 रकवा 0.81 व 3498 रकवा 0.82, 3499 रकवा 0.35, व खाता सं. 26 के खसरा नं. 3705 रकवा 0.05, 3706 रकवा 0.11 व 3707 रकवा 0.01, 3708 रकवा 0.10, 3709 रकवा 0.07 व खाता सं. 87 के खसरा नं. 3566 रकवा 0.38 व 3567 रकवा 0.38 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई पर सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 होती पुत्र किशन जाति जाट निवासी नगला घेरा पो. भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर के संबंध में लापता/मृतक घोषित होने के उपरान्त ही प्रतिवादी संख्या 03 के हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राजातों को कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार खातेदार घोषित किया जावेगा।

किबिज – मुबलिग ———— बावत ———— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख........16\3\26.................. को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत————

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रुप्या	पैसा	मुद्दालय	रुपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

[illegible]

1. रनधीरसिंह पुत्र किशन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदवई

—वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र किशन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदवई
2. महावीर पुत्र किशन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदवई
3. होती पुत्र किशन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदवई
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदवई

— असल प्रतिवादी

5. बाबूलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदवई
6. दीवान पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
7. बच्चू पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
8. मोरध्वज पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
9. लोकेश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
10. बाबू पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
11. आशा पुत्री मुकेश जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
12. जीतेन्द्र पुत्र परसराम जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
13. धीरज पुत्र बदन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
14. नीरज पुत्र बदन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
15. बाबूलाल पुत्र परसराम जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
16. रविन्द्र पुत्र परसराम जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
17. रामश्री पत्नि परसराम जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
18. सुनील कुमार पुत्र मुकेश जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
19. प्रबंधक पी.एन.बी. शाखा नदबई
20. प्रबंधक बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नदबई
21. प्रबंधक एस.बी.आई शाखा नदबई।

— तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 11/2023
जीसीएमएस नं0 2021/24
किस्म दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 16.03.2026

1. रनधीरसिंह पुत्र किशन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई

—वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र किशन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
2. महावीर पुत्र किशन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
3. होती पुत्र किशन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

— असल प्रतिवादी

5. बाबूलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
6. दीवान पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
7. बच्चू पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
8. मोरध्वज पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
9. लोकेश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
10. बाबू पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
11. आशा पुत्री मुकेश जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
12. जीतेन्द्र पुत्र परसराम जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
13. धीरज पुत्र बदन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
14. नीरज पुत्र बदन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
15. बाबूलाल पुत्र परसराम जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
16. रविन्द्र पुत्र परसराम जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
17. रामश्री पत्नि परसराम जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
18. सुनील कुमार पुत्र मुकेश जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई
19. प्रबंधक पी.एन.बी. शाखा नदबई
20. प्रबंधक बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नदबई
21. प्रबंधक एस.बी.आई शाखा नदबई।

— तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रामकिशन पूनिया (वादी की ओर से)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

: निर्णय : दावा अन्त.धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1. यह है कि पक्षकारान मुकदमे में ऐसा कोई सख्श नहीं है, जो दावा के अयोग्य हो सभी पक्षकारान वाद लडने योग्य हैं।
2. यह है कि विवादित आराजी खाता सं. 69 के खसरा नं. 3543 रकवा 0.24 व खाता सं. 111 का खसरा नं. 3525 रकवा 0.21 व खाता सं. 572 के खसरा नं. 1920 रकवा 0.81 व 3498 रकवा 0.82, 3499 रकवा 0.35, व खाता सं. 26 के खसरा नं. 3705 रकवा 0.05, 3706 रकवा 0.11 व 3707 रकवा 0.01, 3708 रकवा 0.10, 3709 रकवा 0.07 व खाता सं. 87 के खसरा नं. 3566 रकवा 0.38 व 3567 रकवा 0.38 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई में स्थित है।
3. यह है कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र की आराजी वादी एवं असल प्रतिवादी सं. 1, 2,3 की हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्मिलित है एवं पैत्रिक आराजी है जिस पर वादी एवं असल प्रतिवादी सं. 1 व 2 हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी सं. 3 लगभग सन् 1999 से ही लापता है जिसको हम वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला है प्रतिवादी सं. 3 जो कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खास भाई है, जो कि लाऔलाद बिला औरत के करीबन 20—21 साल से लापता है जिसके हिस्से की भूमि को हम वादी एवं असल प्रतिवादी सं. 1 व 2 कब्जा काश्त एवं उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। परन्तु अब असल प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मन में बदयांति आ गयी है जिसको फर्जकारी से लापता होती के नाम चली आ रही आराजी को अपने नाम कराना चाहते हैं। जिनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लापता होती की खातेदारी की आराजी प्राकृतिक मौत की स्थिति में मद सं. 2 में वर्णित आराजी पैत्रिक होने के नाते वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पाने का अधिकारी है।
4. यह है कि सात साल से अधिक कोई व्यक्ति लापता है, जिसका जिन्दा रहने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की प्राकृतिक मौत मान ली जाती है, प्राकृतिक मौत की स्थिति में उसकी चल व अचल सम्पत्ति के हकदार उसके खास परिवारीजन भाई हकदार होंगे। इस प्रकार मद सं. 2 में वर्णित आराजी हिस्सेनुसार लापता—होती के नाम चले आ रहे इन्द्राजात को कलमजन कर उसके हिस्से की जमीन को वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हक में वाहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पाने के अधिकारी हैं।
5. यह है कि दिनांक 13.12.2020 को प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने वादी को यह धमकी दी है कि भाई मृतक होती के नाम चले आ रहे इन्द्राजात को हम दोनों भाई प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने नाम करा लेगें तुझे तेरे हिस्से से महरूम कर देगें। अगर प्रतिवादीगण अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम नुकसान होगा जिसकी पूर्ति जरिये नकद से ना हो सकेगी।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है वादपत्र वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह है कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वाद पत्र की आराजी में असल प्रतिवादी संख्या 3 के नाम चले आ रहे खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उस पर वादी व असल प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

यह है कि असल प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद जावे कि वे आराजी वर्णित मद सं. 2 वाद पत्र में असल प्रतिवादी सं. 03 के नाम चले रहे खातेदारी के इन्द्राजात को अकेले अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं करावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संबत 2073 से 2076 वाके ग्राम घेरा, असल प्रमाणीकर सरपंच ग्राम पंचायत भदीरा व मौखिक साक्ष्य के रूप में श्री रंधीरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी घेरा (पीडब्लू–1) व श्रीमति विमला पत्नि महावीर जाति जाट निवासी घेरा (पीडब्लू–2) पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

हमने वादी अधिवक्ता की ओर से एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्तागण की ओर से अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही पुनः दोहराया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। विवादित आराजी खाता सं. 69 के खसरा नं. 3543 रकवा 0.24 व खाता सं. 111 का खसरा नं. 3525 रकवा 0.21 व खाता सं. 572 के खसरा नं. 1920 रकवा 0.81 व 3498 रकवा 0.82, 3499 रकवा 0.35, व खाता सं. 26 के खसरा नं. 3705 रकवा 0.05, 3706 रकवा 0.11 व 3707 रकवा 0.01, 3708 रकवा 0.10, 3709 रकवा 0.07 व खाता सं. 87 के खसरा नं. 3566 रकवा 0.38 व 3567 रकवा 0.38 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई में स्थित है। विवादित आराजी हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है एवं पैतृक सम्पत्ति है जिस पर वादी एवं असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। मुताबिक दावा प्रतिवादी संख्या 3 होती पुत्र किशन जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर लगभग सन् 1999 से ही लापता है। हमने ग्राम पंचायत भदीरा की रिपोर्ट दिनांक 20.05.2019 का अवलोकन किया तो पाया कि होती पुत्र किशन जाति जाट निवासी नगला घेरा पो. भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर का मूल निवासी था परन्तु सगे भाईयों व ग्राम वासियों के द्वारा लगभग सन् 1999 से जन्म भमि से गुम हो गया है। आज दिनांक तक कोई भी पता नहीं चला है (प्रदर्श–2)। वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 03 के नाम चले आ रहे खातेदारी इन्द्राजातों को कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में उसके हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने हेतु निवेदन किया गया है लेकिन प्रतिवादी संख्या 03 का विवादित आराजी में विरासतन जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 03 को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक प्रमाणित साक्ष्य व सबूतों से उसके अस्तित्व में न होने को सिद्ध नहीं किया जा सके। अतः प्रतिवादी संख्या 03 होती पुत्र किशन जाति जाट निवासी नगला घेरा पो. भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर के गुमशुदगी/फौत होने के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पुख्ता साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत होने पर ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता हे।

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है और वादपत्र में अंकित विवादित आराजी खाता सं. 69 के खसरा नं. 3543 रकवा 0.24 व खाता सं. 111 का खसरा नं. 3525 रकवा 0.21 व खाता सं. 572 के खसरा नं. 1920 रकवा

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

व 3498 रकवा 0.82, 3499 रकवा 0.35, व खाता सं. 26 के खसरा नं. 3705 रकवा 0.
3706 रकवा 0.11 व 3707 रकवा 0.01, 3708 रकवा 0.10, 3709 रकवा 0.07 व खाता
87 के खसरा नं. 3566 रकवा 0.38 व 3567 रकवा 0.38 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई
र सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 होती पुत्र किशन जाति जाट निवासी नगला
घेरा पो. भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर के संबंध में लापता/मृतक घोषित होने के
उपरान्त ही प्रतिवादी संख्या 03 के हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राजातों को कलमजन
किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार
खातेदार घोषित किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 16/3/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते